महत्वपूर्ण
संख्या-473/52-3-2024-3099/4/2024

प्रेषक

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
वेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. **निदेशक,**
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2024

विषयः- मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-सी/6049/2023 में पारित निर्णय दिनांक-22/03/2024 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में मदरसा शिक्षा परिषद के पूर्व छात्र/छात्राओं का प्रवेश/ नामांकन किया जाना।

महोदय,

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-सी/6049/2023 अंशुमान सिंह राठौर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22 मार्च, 2024 का ऑपरेटिव अंश निम्नवत है:

"In view of the foregoing discussion, we hold that the Madarsa Act, 2004, is violative of the principle of Secularism, which is a part of the basic structure of the Constitution of India, violative of Articles 14, 21 and 21-A of the Constitution of India and violative of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956. Accordingly, the Madarsa Act, 2004 is declared unconstitutional. Further, we are not deciding the validity of Section 1(5) of the R.T.E. Act as we have already held the Madarsa Act to be ultra vires and we are also informed by learned counsel for both the parties that in State of U.P. Vadik Pathshalas do not exist.

Since there are large number of Madarsas and Madarsa students in State of U.P., the State Government is directed to take steps forthwith for accommodating these Madarsa students in regular schools recognized under the Primary Education Board and schools recognized under the High School and Intermediate Education Board of State of U.P. The State Government for the said purpose shall ensure that as per requirement sufficient number of additional seats are created and further if required, sufficient number of new schools are established. The State Government shall also ensure that children between the ages of 6 to 14 years are not left without admission in duly recognized institutions."

2. उ0प्र0 मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 को निरस्त एवं असंवैधानिक करार दिये जाने के फलस्वरूप मदरसों की मान्यता स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है।

3. ऐसे मदरसे जो विभिन्न मानकों के आधार पर यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई० बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्ह है, संबंधित बोर्ड से विधिवत मान्यता प्राप्त कर नियमानुसार प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय का संचालन कर सकते हैं।

4. (i) जो मदरसे उपलब्ध सुविधाओं में अधोमानक के आधार पर किसी भी बोर्ड से विधिवत मान्यता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मदरसा बोर्ड के संचालन पर स्वतः बन्द हो जायेंगे, जिससे इन मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का भविष्य अधर में पड जायेगा। ऐसे मदरसों के छात्र/छात्राओं का भविष्य खराब होने से बचाने हेतु उनका प्रदेश के सरकारी बेसिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश/नामांकन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:

(1)	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
(3)	जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य सचिव
(4)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
(5)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	-	सदस्य

(ii) जनपद-स्तरीय उक्त समिति द्वारा पूर्व में मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का प्रवेश / नामांकन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराया जायेगा।

(iii) उपरोक्त प्रस्तर 4(i) के मदरसों के जो छात्र/छात्राए किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में सुगमता से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्देश निर्गत जायेंगे।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि छात्र/छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार विद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाये जाने तथा नवीन विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में जनपद-स्तरीय समिति द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5. इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या जिलाधिकारी द्वारा मासिक रूप से महानिदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी। छात्रों के नामांकन की कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर पर की जाएगी।

6. अस्तु, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।